झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, रांची-834002 (झारखण्ड)

संकल्प

विषय : व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से शिक्षु अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1973 एवं 2014 (Apprentices Act 1961) के अन्तर्गत राजकीय विश्वविद्यालयों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कार्यालय, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् तथा झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् (JCST&I) में राज्य के उत्तीर्ण (डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त) छात्रों को Graduate Apprentices/Technician Apprentices के रुप में एक वर्ष का Apprenticeship प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में ।

शिक्षु अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1973 एवं 2014 (Apprentices Act 1961) में निहित प्रावधानों के आलोक में विभिन्न शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त छात्रों को एक वर्ष के लिए विभिन्न Apprentices Scheme अन्तर्गत एक वर्ष हेतु प्रशिक्षण दी जाती है जिसका क्रियान्वयन व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र (BOPT, ER), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है । कई राज्यों में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा डिप्लोमा संस्थानों के उत्तीर्ण छात्रों को एक नियत छात्रवृत्ति देकर एक वर्ष के लिए क्रमशः Graduate Apprentices एवं Technician Apprentices के रुप में प्रशिक्षण दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। झारखण्ड राज्य में भी इस व्यवस्था को विभागीय संकल्प (ज्ञापांक -765, दिनांक – 17.08.2021) के आलोक में राजकीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों में लागू किया गया है ।

2. राज्य के राजकीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों की भांति राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों, अंगीभूत महाविद्यालयों, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् (JCST&I) को भी NATS अंतर्गत Establishment के रूप में पंजीकृत कराते हुए Apprenticeship प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

(i) इस अप्रेन्टिस प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु, डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त छात्र को National Apprenticeship Training Scheme (NATS) के Portal (www.mhrdnats.gov.in) पर पंजीकृत करना होता है और चयन के उपरांत आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(ii) Apprenticeship Amendment Rule, 2019 में निहित प्रावधानों के अनुसार उक्त प्रशिक्षण में छात्रों को प्रतिमाह stipend के रूप में डिग्रीधारी छात्रों के लिए रु० 9,000/- प्रतिमाह एवं डिप्लोमाधारी छात्रों के लिए रु० 8,000/- प्रतिमाह देने का प्रावधान है एवं राज्य सरकार द्वारा भुगतान किये जाने वाले उक्त stipend की राशि का 50 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र (BOPT, ER) द्वारा किये जाने का प्रावधान है |

(iii) उक्त stipend की राशि काफी कम रहने के कारण Apprenticeship Training के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक -765, दिनांक – 17.08.2021 के माध्यम से राजकीय तकनीकी संस्थानों में Graduate Apprentice

(Engineering) तथा Graduate Apprentice (लाइब्रेरी साइंस) की stipend राशि रु० 15,000/- प्रतिमाह तथा डिप्लोमाधारी Technician Apprentice की stipend राशि रु० 10,000/- प्रतिमाह निर्धारित किया गया है |

(iv) इसी क्रम में गैर अभियंत्रण डिग्रीधारी प्रशिक्षुओं के लिए भी Apprenticeship Training की व्यवस्था करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है | राज्य के विभिन्न राजकीय विश्वविद्यालयों, अंगीभूत महाविद्यालयों, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् एवं झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् में Apprenticeship Training की व्यवस्था की जा रही है | उक्त संस्थानों/परिषद्/विभाग को National Apprenticeship Training Scheme (NATS) के Portal पर Establishment के रूप में पंजीकृत कराया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा |

(v) Apprentices Act के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक Establishment के स्थापना के कुल जनशक्ति (संविदात्मक कर्मचारी सहित) के 2.5% से 15% तक के बैंड में Apprentices को रखा जायेगा | व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड की सहमति से Establishment के Apprentices की संख्या बढ़ाई जा सकती है |

(vi) वर्तमान में Apprentices की संख्या की गणना हेतु Establishment के स्थापना के कुल जनशक्ति (संविदात्मक कर्मचारी सहित) के 15% के बराबर (approx) Apprentices की संख्या निर्धारित की जा रही है, किन्तु विश्वविद्यालयों के लिए अधिकतम 20 Apprentices (Table 1 of Annexure-1) तथा महाविद्यालयों के लिए अधिकतम 10 Apprentices (Table 2 of Annexure-1) की सीमा निर्धारित करते हुए गणना की जा रही है | झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् तथा झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् के लिए आवश्यतानुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड की सहमति से कुल जनशक्ति के 15% से अधिक Apprentices की संख्या निर्धारित की जा रही है (Table 3 of Annexure-1) | उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कार्यालय में आवश्यकतानुसार यह संख्या 04 Apprentices निर्धारित की जा रही है (Table 3 of Annexure-1), जो 15% की सीमा के अन्दर है |

(vii) प्रशिक्षण की अवधि में प्रति गैर अभियंत्रण डिग्रीधारी प्रशिक्षु को stipend की राशि रू० 12000/- प्रति माह जिसमें राज्यांश की राशि रु० 7,500/- शामिल है का भुगतान किया जायेगा । Stipend की अवशेष राशि गैर अभियंत्रण डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) के लिए प्रति प्रशिक्षु रु० 4500/- की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) से प्राप्त की जाएगी ।

(viii) इसी प्रकार प्रशिक्षण की अवधि में प्रति अभियंत्रण डिग्रीधारी प्रशिक्षु को stipend की राशि रू० 15000/- प्रति माह जिसमें राज्यांश की राशि रु० 10,500/- शामिल है का भुगतान किया जायेगा । प्रति माह stipend की अवशेष राशि अभियंत्रण डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) के लिए प्रति प्रशिक्षु रु० 4500/- की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) से प्राप्त की जाएगी ।

(ix) डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices) के लिए stipend की राशि रू० 10000/- प्रति माह जिसमें राज्यांश की राशि रु० 6,000/- शामिल है का भुगतान किया जायेगा । प्रति माह stipend की अवशेष राशि Technician Apprentice के लिए प्रति प्रशिक्षु रु० 4000/- की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) से प्राप्त की जाएगी ।

(x) राज्य के प्रत्येक राजकीय विश्वविद्यालयों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों में पुस्तकालय, विषयवार प्रयोगशाला, शाखावार कार्यालय आदि की व्यवस्था की गयी है और इसके लिए कुछ संस्थानों में प्रयोगशाला सहायक, लाइब्रेरियन आदि Supporting Staff के पद सृजित हैं। परन्तु, इनमे से अधिकतर पद रिक्त रहने से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। साथ ही शिक्षकेत्तर कर्मियों की कमी होने के कारण विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों का कार्य प्रभावित हो रहा है |

3. राज्य के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के प्रयोगशालाओं / कंप्यूटर लैब / पुस्तकालयों/ लेखा शाखा आदि के लिए प्रयोगशाला सहायक, लाइब्रेरियन तथा लेखा आदि के कार्य हेतु Apprentices Scheme अन्तर्गत प्रशिक्षु अभ्यर्थियों का चयन कर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है | ऐसे चयनित प्रशिक्षु अभ्यर्थियों के जहां एक ओर व्यावहारिक ज्ञान में वृद्धि होती है, वहीं दूसरी ओर उन्हें रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में भी यह सहायक होगी। साथ ही कॉलेज तथा उद्योग के बीच के skill gap को कम करने में भी यह Apprenticeship प्रशिक्षण सहायक होगी | प्रशिक्षण के दौरान ऐसे प्रशिक्षु छात्र उस संस्थान में अतिरिक्त Supporting Staff के तौर पर भी उपलब्ध होंगे।

4. पर्याप्त मानवबल के आभाव में इनसे कार्य लिए जाने से छात्रों के प्रयोगशालाओं, कर्मशालाओं से सम्बंधित वर्ग कार्य कराए जाने में सहूलियत होगी तथा प्रशिक्षुओं का skill enhancement भी होगा | प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षुओं के प्लेसमेंट में भी सहूलियत होगी क्यों की सभी प्रशिक्षु प्रशिक्षित हो जायेंगे | अतः Apprenticeship योजना प्रशिक्षु तथा प्रशिक्षण प्रदाता Establishments दोनों के लिए उपयोगी होगी |

5. अत: निर्णय लिया गया है कि :

(i) व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शिक्षु अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1973 एवं 2014 (Apprentices Act 1961) के अन्तर्गत

- राजकीय विश्वविद्यालयों
- राजकीय विश्वविद्यालयों के अंगीभूत महाविद्यालयों
- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कार्यालय
- झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद्
- झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद्

को NATS (National Apprenticeship Training scheme) पोर्टल पर Establishment के रूप में पंजीकृत करते हुए उक्त संस्थानों में राज्य के विभिन्न राजकीय/निजी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/ पोलीटेकनिक संस्थानों से स्नातक/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को Graduate Apprentices/Technician Apprentices के रुप में एक वर्ष के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है |

(ii) वर्त्तमान में जिन Establishments में NATS अंतर्गत Apprenticeship प्रशिक्षण प्रारम्भ लिया जाना है, उसकी सूची तथा प्रशिक्षुओं (Graduate Apprentice (Engineering), Graduate Apprentice (Non- Engineering), Technician Apprentice) की अनुमानित संख्या, Annexure- 1 की तालिका 1, 2 एवं 3 में संलग्न है |

(iii) किसी भी Establishment में Apprentices की संख्या में बढ़ाने तथा नए संस्थानों/ Establishments में Apprentices की संख्या निर्धारित करते हुए Apprenticeship प्रशिक्षण

प्रारम्भ करने के लिए विभागीय मंत्री सक्षम प्राधिकार होंगे | Apprentices को देय प्रतिमाह stipend की राशि का दर निम्नवत होगा-

- Graduate Apprentices (Engineering)- रु० 15,000
- Graduate Apprentices (Non- Engineering)- रु० 12,000
- Technician Apprentices- रु० 10,000

(iv) इंजीनियरिंग (डिग्री) उत्तीर्ण Graduate Apprentices को प्रतिमाह रु० 15,000 तथा Technician Apprentices को प्रतिमाह रु० 10,000 stipend की राशि देय होगी |

- इस राशि में से प्रति माह प्रति Graduate Apprentice रु० 4,500 तथा प्रति Technician Apprentice रु० 4,000 की प्रतिपूर्ति व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) के द्वारा की जाएगी |
- शेष राशि अर्थात प्रति माह प्रति Graduate Apprentice रु० 10,500 तथा प्रति Technician Apprentice रु० 6,000 की राशि के वित्तीय भार का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा |

(v) प्रत्येक डिग्रीधारी (गैर अभियंत्रण) Graduate Apprentice को प्रतिमाह रु० 12,000 stipend देय होगा |

- इस राशि में से प्रति Graduate Apprentice रु० 4,500 की प्रतिपूर्ति व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) के द्वारा की जाएगी |
- शेष राशि अर्थात प्रति Graduate Apprentice रु० 7,500 की राशि के वित्तीय भार का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा |

(vi) व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड से प्रतिपूर्ति की राशि नियमित अंतराल पर प्राप्त करते हुए संबंधित संस्थान के द्वारा राज्य कोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा |

(vii) NATS अंतर्गत Apprentices के चयन में प्रत्येक Establishment में राज्य के आरक्षण सम्बन्धी प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा | आरक्षित सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में अन्य कोटि के आवेदकों से सीट भरा जा सकेगा |

(viii) Apprentices के चयन हेतु Apprentices Act के प्रावधानों के अनुसार राज्य के सभी अर्हता प्राप्त इच्छुक छात्रों से आवेदन आमंत्रित किया जायेगा | Apprentices के रूप में चयन हेतु झारखण्ड राज्य के मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना तथा National Apprenticeship Training Scheme पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य होगा | Apprentices का चयन स्नातक/ डिप्लोमा में सभी विषयों को मिलाकर प्राप्त अंक के आधार पर मेधा के अनुसार की जाएगी |

(ix) Apprentices के चयन हेतु आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किये जायेंगे | इसके लिए अलग से वेब पोर्टल तैयर किया जायेगा | ऑनलाइन पोर्टल तैयार होने तक हार्ड कॉपी/ google फॉर्म या अन्य माध्यम से आवेदन प्राप्त करते हुए Apprentices का चयन किया जायेगा |

(x) Apprentices Act के प्रावधानों के अधीन तथा संबंधित Establishment की आवश्यकतानुसार Apprentices की अर्हता निर्धारित करते हुए Apprentices का चयन किया जायेगा |

(xi) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् में Apprentices का चयन विभागीय विशेष सचिव/ अपर सचिव/ संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा | समिति के अन्य सदस्य उच्च शिक्षा निदेशालय के स्थापना प्रभारी

(उप सचिव/अवर सचिव) तथा तकनीकी शिक्षा निदेशालय के स्थापना प्रभारी (उप सचिव/अवर सचिव) होंगे | उक्त चयन समिति के द्वारा चयन संबंधी सभी कार्य किये जायेंगे |

(xii) राजकीय विश्वविद्यालयों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों में Apprentices का चयन संबंधित विश्वविद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा जिनके द्वारा चयन संबंधी सभी कार्य किये जायेंगे |

(xiii) झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् में Apprentices का चयन झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् के कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा किया जायेगा | समिति के अन्य सदस्य तकनीकी पदाधिकारी, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय होंगे | उक्त चयन समिति के द्वारा चयन संबंधी सभी कार्य किये जायेंगे |

(xiv) Apprentices को संबंधित संस्थान के संविदा कर्मियों को अनुमान्य छुट्टी के समतुल्य छुट्टी अनुमान्य होगी | संबंधित संस्थान के सामान्य कार्य दिवस/कार्य अवधि/अवकाश Apprentices के लिए भी समान रूप से लागू होंगे |

(xv) Apprentices के चयन संबंधी किसी प्रकार की कठिनाई होने पर निराकरण हेतु विभागीय सचिव अपने स्तर से आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत होंगे |

6. i) इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय रू० 7,06,86,000/- (सात करोड़ छः लाख छियासी हजार रूपये मात्र) होगा |

ii) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कार्यालय में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप व्यय की जाने वाली राशि का वहन विभाग के राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष 2203-तकनीकी शिक्षा, लघु शीर्ष-003-प्रशिक्षण तथा 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष-A7- प्रशिक्षण एवं विकास, संस्थानीय नेटवर्किंग और सहयोग मद के अंतर्गत उपबंधित राशि से किया जाएगा।

iii) राजकीय विश्वविद्यालयों, राजकीय विश्वविद्यालयों के अंगीभूत महाविद्यालयों, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद तथा झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप व्यय की जाने वाली राशि का वहन संबंधित संस्थान के पी०एल० खाता में संधारित राशि से किया जाएगा।

7. प्रस्ताव पर योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक- 02.08.2023 की बैठक में अनुशंसा प्राप्त है |

8. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-18.10.2023 में मद संख्या - 05 में स्वीकृति प्रदान की गयी है |

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय |

अनुलग्नक- यथोक्त

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

31.10.23

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक: 02/प्रशि०- 01/2023 (उ०शि०) 2257 /राँची, दिनांक:- 02/11/2023

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

31.10.23

सरकार के सचिव

ज्ञापांक:-02/प्रशि०- 01/2023 (उ०शि०) 2257 /राँची, दिनांक:- 02/11/2023

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा/धुर्वा, रांची/सभी जिला कोषागार/उप कोषागार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.10.23

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:-02/प्रशि०- 01/2023 (उ०शि०) 2257 /राँची, दिनांक:- 02/11/2023

प्रतिलिपि:-माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, रांची के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, सभी विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

31.10.23

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:-02/प्रशि०- 01/2023 (उ०शि०) 2257 /राँची, दिनांक:- 02/11/2023

प्रतिलिपि:-विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च/तकनीकी शिक्षा/विभाग के सभी पदाधिकारी/सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय/अवर सचिव सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, विभाग/उच्च शिक्षा निदेशालय/विभागीय बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.10.23

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:-02/प्रशि०- 01/2023 (उ०शि०) 2257 /राँची, दिनांक:- 02/11/2023

प्रतिलिपि:-कुलसचिव, सभी राजकीय विश्वविद्यालय/झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रांची/ कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् (JCST&I)/झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.10.23

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:-02/प्रशि०- 01/2023 (उ०शि०) 2257 /राँची, दिनांक:- 02/11/2023

प्रतिलिपि:- विभागीय नोडल पदाधिकारी ई-गजट को ई-गजट में प्रकाशनार्थ आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ श्री कुमार चन्दन, MIS Officer, विभागीय ई-गवर्नेंस कोषांग को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31.10.23

सरकार के सचिव।

Annexure- 1

Table- 1 (Universities)

S.No	Name of Univerisity/Constituent College	Univerisity/ Constituent College	Manpower	No of Graduate Apprentices (Non-Engineering) (Approx 15% of Manpower with an upper cap of 20)	Stipend (per month)	State Govt. Share (per month)	BoPT Share (per month)	Expenditure Estimation from State fund (per month)	Expenditure Estimation from State fund (Annual)
1	Binod Bihari Mahto Koyalanchal University Dhanbad	University	146	20	12,000	7,500	4,500	1,50,000	18,00,000
2	Dr. Shyama Prasad Mukherjee University, Ranchi	University	135	20	12,000	7,500	4,500	1,50,000	18,00,000
3	Jamshedpur Women's University, Jamshedpur	University	50	8	12,000	7,500	4,500	60,000	7,20,000
4	Jharkhand Raksha Shakti University, Ranchi	University	36	5	12,000	7,500	4,500	37,500	4,50,000
5	Jharkhand State Open University, Ranchi	University	128	19	12,000	7,500	4,500	1,42,500	17,10,000
6	KOLHAN UNIVERSITY, CHAIBASA	University	107	10	12,000	7,500	4,500	75,000	9,00,000
7	Nilambar-Pitambar Univerisity, Palamu	University	62	9	12,000	7,500	4,500	67,500	8,10,000
8	Pandit Raghunath Murmu Tribal University, Jamshedpur	University	279	20	12,000	7,500	4,500	1,50,000	18,00,000
9	Ranchi University, Ranchi	University	210	16	12,000	7,500	4,500	1,20,000	14,40,000
10	Sido Kanhu Murmu University, Dumka	University	128	20	12,000	7,500	4,500	1,50,000	18,00,000
11	Vinoba Bhave Univerisity, Hazaribag	University	216	20	12,000	7,500	4,500	1,50,000	18,00,000
Total				167				12,52,500	1,50,30,000

Annexure- 1

Table- 2 (Colleges)

Sl.	Name of Univerisity/Constituent College	University/ Constituent College	Manpower	No of Graduate Apprentices (Non-Engineering) (Approx 15% of Manpower with an upper cap of 10)	Stipend (per month)	State Govt. Share (per month)	BoPT Share (per month)	Expenditure Estimation from State fund (per month)	Expenditure Estimation from State fund (Annual)
1	A.B.M. College, Jamshedpur	College	57	9	12,000	7,500	4,500	67,500	8,10,000
2	A.S. College, Deoghar	College	65	10	12,000	7,500	4,500	75,000	9,00,000
3	Adarsh College, Rajdhanwar	College	63	9	12,000	7,500	4,500	67,500	8,10,000
4	B. N. Jalan College, Sisai (Gumla)	College	47	7	12,000	7,500	4,500	52,500	6,30,000
5	B. S. K. College, Maithon	College	36	5	12,000	7,500	4,500	37,500	4,50,000
6	B.S. College, Lohardaga	College	60	9	12,000	7,500	4,500	67,500	8,10,000
7	B.S.K College, Barharwa, Sahibganj	College	48	7	12,000	7,500	4,500	52,500	6,30,000
8	Baharagora College, Baharagora	College	39	6	12,000	7,500	4,500	45,000	5,40,000
9	Birsa College, Khunti	College	49	7	12,000	7,500	4,500	52,500	6,30,000
10	Bokaro Steel City College, Bokaro	College	83	10	12,000	7,500	4,500	75,000	9,00,000
11	Chas College, Chas, Bokaro	College	89	10	12,000	7,500	4,500	75,000	9,00,000
12	Chatra College, Chatra	College	29	4	12,000	7,500	4,500	30,000	3,60,000
13	Degree College, Ghaghra, Bishunpur, Gumla	College	31	5	12,000	7,500	4,500	37,500	4,50,000
14	Degree College, Jagannathpur	College	29	4	12,000	7,500	4,500	30,000	3,60,000
15	Degree College, Majhgaon	College	31	5	12,000	7,500	4,500	37,500	4,50,000
16	Degree College, Manika, Latehar	College	31	5	12,000	7,500	4,500	37,500	4,50,000
17	Degree College, Manoharpur	College	31	5	12,000	7,500	4,500	37,500	4,50,000
18	Deoghar College , Deoghar	College	58	8	12,000	7,500	4,500	60,000	7,20,000
19	Doranda College, Ranchi	College	184	10	12,000	7,500	4,500	75,000	9,00,000
20	G.C. Jain Commerce College, Chaibasa	College	17	3	12,000	7,500	4,500	22,500	2,70,000
21	Ganesh Lal Agrawal College, Medininagar, Palamu	College	107	10	12,000	7,500	4,500	75,000	9,00,000
22	Ghatsila College, Ghatsila	College	62	9	12,000	7,500	4,500	67,500	8,10,000
23	Giridih College, Giridih	College	47	7	12,000	7,500	4,500	52,500	6,30,000
24	Godda College, Godda	College	61	9	12,000	7,500	4,500	67,500	8,10,000
25	J.J. College, Jhumritelaya, Koderma	College	61	9	12,000	7,500	4,500	67,500	8,10,000
26	Jagannath Nagar College, Ranchi	College	56	8	12,000	7,500	4,500	60,000	7,20,000
27	Jamshedpur Co-Operative College, Jamshedpur	College	75	10	12,000	7,500	4,500	75,000	9,00,000

Sl.	Name of Univerisity/Constituent College	University/ Constituent College	Manpower	No of Graduate Apprentices (Non-Engineering) (Approx 15% of Manpower with an upper cap of 10)	Stipend (per month)	State Govt. Share (per month)	BoPT Share (per month)	Expenditure Estimation from State fund (per month)	Expenditure Estimation from State fund (Annual)
28	Jamshedpur Workers' College, Jamshedpur	College	77	10	12,000	7,500	4,500	75,000	9,00,000
29	Jamtara College, Jamtara	College	31	5	12,000	7,500	4,500	37,500	4,50,000
30	Janta Shivratri College, Palamu	College	29	4	12,000	7,500	4,500	30,000	3,60,000
31	Jawahar Lal Nerhu College, Chakradharpur	College	35	5	12,000	7,500	4,500	37,500	4,50,000
32	K K M College, Pakur	College	36	5	12,000	7,500	4,500	37,500	4,50,000
33	K. B. College, Bermo	College	51	8	12,000	7,500	4,500	60,000	7,20,000
34	Karamchand Bhagat (KC) Bhagat College, Bero, Ranchi	College	78	10	12,000	7,500	4,500	75,000	9,00,000
35	Kartik Oraon (KO) College, Gumla	College	30	4	12,000	7,500	4,500	30,000	3,60,000
36	Kashi Sahu College, Seraikella	College	43	6	12,000	7,500	4,500	45,000	5,40,000
37	Katras College, Katrasgarh	College	28	4	12,000	7,500	4,500	30,000	3,60,000
38	Krishna Bhallabh (KB) Women's College, Hazaribag	College	51	8	12,000	7,500	4,500	60,000	7,20,000
39	LBSM College, Jamshedpur	College	46	7	12,000	7,500	4,500	52,500	6,30,000
40	Madhupur College, Madhupur	College	23	7	12,000	7,500	4,500	52,500	6,30,000
41	Mahila College, Chaibasa	College	44	7	12,000	7,500	4,500	52,500	6,30,000
42	Mahila College, Pakur	College	29	4	12,000	7,500	4,500	30,000	3,60,000
43	Mahila College, Sahibganj	College	29	4	12,000	7,500	4,500	30,000	3,60,000
44	Mahila Mahavidyalay, Seraikella, Kharsawan	College	28	4	12,000	7,500	4,500	30,000	3,60,000
45	Mandar College, Mandar, Ranchi	College	63	10	12,000	7,500	4,500	75,000	9,00,000
46	Markham College Of Commerce, Hazaribag	College	61	9	12,000	7,500	4,500	67,500	8,10,000
47	Marwari College, Ranchi	College	204	10	12,000	7,500	4,500	75,000	9,00,000
48	Millat College, Parsa, Godda	College	32	5	12,000	7,500	4,500	37,500	4,50,000
49	Model College Rajmahal	College	29	4	12,000	7,500	4,500	30,000	3,60,000
50	Model College, Birni	College	29	4	12,000	7,500	4,500	30,000	3,60,000
51	Model College, Chatra	College	30	4	12,000	7,500	4,500	30,000	3,60,000
52	Model College, Pakur	College	29	4	12,000	7,500	4,500	30,000	3,60,000
53	Model College, Vijaypur	College	29	4	12,000	7,500	4,500	30,000	3,60,000
54	Model Degree College, Bano	College	29	4	12,000	7,500	4,500	30,000	3,60,000

Purohit

Sl.	Name of Univeristy/Constituent College	University/ Constituent College	Manpower	No of Graduate Apprentices (Non-Engineering) (Approx 15% of Manpower with an upper cap of 10)	Stipend (per month)	State Govt. Share (per month)	BoPT Share (per month)	Expenditure Estimation from State fund (per month)	Expenditure Estimation from State fund (Annual)
55	Model Mahavidyalay Navadih, Palajori, Deoghar	College	29	4	12,000	7,500	4,500	30,000	3,60,000
56	Model Mahavidyalay Sugabathan Poraiyahat, Godda	College	29	4	12,000	7,500	4,500	30,000	3,60,000
57	Model Mahavidyalay, Seraikella, Kharsawan	College	30	4	12,000	7,500	4,500	30,000	3,60,000
58	P K Roy Memorial College, Dhanbad	College	65	10	12,000	7,500	4,500	75,000	9,00,000
59	P.P.K. College, Bundu	College	88	10	12,000	7,500	4,500	75,000	9,00,000
60	R.S. More College, Dhanbad	College	46	7	12,000	7,500	4,500	52,500	6,30,000
61	Ram Lakhan Singh Yadav College, Ranchi	College	69	10	12,000	7,500	4,500	75,000	9,00,000
62	Ramgarh College, Ramgarh	College	52	8	12,000	7,500	4,500	60,000	7,20,000
63	Ranchi Women's College, Ranchi	College	202	10	12,000	7,500	4,500	75,000	9,00,000
64	RDBM College, Deoghar	College	27	4	12,000	7,500	4,500	30,000	3,60,000
65	RSP College, Jharia	College	53	8	12,000	7,500	4,500	60,000	7,20,000
66	S. S. Memorial College, Ranchi	College	67	10	12,000	7,500	4,500	75,000	9,00,000
67	S.R.T. College, Dhamri, Godda	College	25	4	12,000	7,500	4,500	30,000	3,60,000
68	S.S.J.S. Namdhari College, Garhwa	College	66	10	12,000	7,500	4,500	75,000	9,00,000
69	S.S.L.N.T, Dhanbad	College	62	9	12,000	7,500	4,500	67,500	8,10,000
70	Sahibganj College, Sahibganj	College	103	10	12,000	7,500	4,500	75,000	9,00,000
71	Santal Pargana College, Dumka	College	81	10	12,000	7,500	4,500	75,000	9,00,000
72	Santal Pargana Mahila College, Dumka	College	99	10	12,000	7,500	4,500	75,000	9,00,000
73	Simdega College, College	College	54	8	12,000	7,500	4,500	60,000	7,20,000
74	Sindri College, Sindri	College	34	5	12,000	7,500	4,500	37,500	4,50,000
75	Singhbhum College, Chandil	College	35	5	12,000	7,500	4,500	37,500	4,50,000
76	Sri Ram Krishna Mahila College, Giridih	College	44	7	12,000	7,500	4,500	52,500	6,30,000
77	St. Columba's College, Hazaribag	College	139	10	12,000	7,500	4,500	75,000	9,00,000
78	Tata College, Chaibasa	College	163	10	12,000	7,500	4,500	75,000	9,00,000
79	The Graduate School College For Women, Jamshedpur	College	86	10	12,000	7,500	4,500	75,000	9,00,000

Sl.	Name of Univerisity/Constituent College	Univerisity/ Constituent College	Manpower	No of Graduate Apprentices (Non-Engineering) (Approx 15% of Manpower with an upper cap of 10)	Stipend (per month)	State Govt. Share (per month)	BoPT Share (per month)	Expenditure Estimation from State fund (per month)	Expenditure Estimation from State fund (Annual)
80	Women's College Domchanch, Koderma	College	28	4	12,000	7,500	4,500	30,000	3,60,000
81	Women's College Lohardaga	College	28	4	12,000	7,500	4,500	30,000	3,60,000
82	Womens College, Chatra	College	28	4	12,000	7,500	4,500	30,000	3,60,000
83	Womens College, Ramgarh	College	28	4	12,000	7,500	4,500	30,000	3,60,000
84	Women's College,Simdega	College	28	4	12,000	7,500	4,500	30,000	3,60,000
85	Y.S.N.M.College, Palamu	College	31	5	12,000	7,500	4,500	37,500	4,50,000
Total				582				43,65,000	5,23,80,000

Annexure- 1

Table- 3 (Other Establishments)

- With approval of BoPT the no. of apprentices to be trained may be more than 15% of Manpower depending on the requirement of the establisment and available training Infrastructure

Sl.	Establishment	Manpower	Graduate Apprentice (Engineering)	Graduate Apprentice (Non-Engineering)	Technician Apprentice	Stipend (per month)	State Govt. Share (per month)	BoPT Share (per month)	Total	Expenditure Estimation from State fund (per month)	Expenditure Estimation from State fund (Annual)
1	Jharkhand State Higher Education Council	11	0	4	0	12,000	7,500	4,500	4	30,000	3,60,000
2	Jharkhand Council on Science, Technology and Innovation	26	4	0	4	15,000 for Graduate Apprentice (Engineering) and 10,000 for Technician Apprentice	10,500 for Graduate Apprentice (Engineering) and 6,000 for Technician Apprentice	4,500 for Graduate Apprentice (Engineering) and 4,000 for Technician Apprentice	8	66,000	7,92,000
3	Department of Higher and Technical Education	84	0	4	0	12,000	7,500	4,500	4	30,000	3,60,000
4	Jharkhand University of Technology, Ranchi	92	14	0	0	15,000	10,500	4,500	14	1,47,000	17,64,000
Total			**18**	**8**	**4**				**30**	**2,73,000**	**32,76,000**

Summary of Expenditure Estimation from State Fund

Sl.	Type	No. of Establishment	Expenditure Amount (in Rs.)
1	Universities	11	1,50,30,000
2	Colleges	85	5,23,80,000
3	Other Establishments	4	32,76,000
Total Estimated Annual Expenditure			**7,06,86,000**